राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

–: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :–

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 48/2010

वादी	बनाम	प्रतिवादी
जेठाराम पुत्र शिवराज जाति ब्राहमण निवासी टांकला तहसील व जिला नागौर		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय नागौर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब नागौर

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

निर्णय

दिनांक :–25.05.2016

वादी ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 वादी की ओर से निम्न राजस्व वाद पेश कर निवेदन है कि वादी ग्राम टांकला का स्थाई निवासी है जो पीढियों से ही ग्राम टांकला मे निवास करता आ रहा है।

2 यह है कि ग्राम टांकला तहसील नागौर के वर्तमान खसरा नं. 664 रकबा गै.मु. मगरा की रकबा आठ बीघा भूमि पर वादी के पिता सम्वत 2000 से काश्त करते रहे है वादी के पिता अनपढ ग्रामीण व गरीब होने के कारण वक्त सेटलमेंट काश्त उप कृषक होते हुए भी उक्त खातेदारी भूमि इनके नाम दर्ज नही की गई उक्त खसरा 664 की रकबा आठ बीघा भूमि कब्जे मे व अभी वादी के कब्जे मे चली आ रही है।

3 यह है कि, उक्त बाडा व खेत की भूमि पर वादी के पिता व अब वादी का कब्जा निरन्तर कदीम से चला आ रहा है। जिसके सबूत मे जुर्माना राशि की रसीदे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिये गये नोटिस व जुर्माना राशि की रसीदे प्रमाण है। बाडा रहवासी मकान, खेत की खातेदारी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को स्वतः ही प्रदान कर देनी चाहिये थी लेकिन प्रतिवादीगण वादी को तंग, परेशान करने की नियत से उक्त खसरा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज नही कर रहे है। इसी खसरा नं. 664 मे से 10 बीघा भूमि ग्रामीण आबादी के लिये भी आंवटित हो चुकी है।

4 यह है कि, वादी के पिता शिवराज का सम्वत 2012 की गिरदावरी व जमाबन्दी (खतौनी) मे उप कृषक के रूप मे नाम दर्ज था बावजूद भी वक्त सेंटलमेंट खातेदारी दर्ज नही की गई। वादी के पिता शिवराज ने भी अनपढ, गरीब ग्रामीण काश्तकार होने से राजस्व रेकर्ड व कागजो मे नाम दर्ज का ज्ञान भी नहीं था। इसलिये भी उसे इसका पता नही चला।

5 कि वादी का तथा वादी का पिता गरीब, असहाय, भूमिहीन काश्तकार है तथा कही भी रहवासी मकान खातेदारी काश्त की कृषि भूमि नही है इसलिये भी वादी भूमिहीन कृषक होने से भी उक्त कब्जा काश्त की भूमि आंवटित कराने का हकदार है जो की जानी चाहिए। वादी को अतिक्रमी भी जाना जावे तो परिपत्र संख्या 6(7)राज.614(77)12 दिनांक 1.4.1991 व 6(7)राज.04/77/15 दिनांक 16.10.2001 के अनुसार भी 15.7.94 तक के अतिक्रमणों 15 बीघा तक भूमि के निःशुल्क नियमन का प्रावधान भी किया गया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण के पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर प्रतिवादीगण की जवाबदेही बंद की जाकर पत्रावली वास्ते शहादत वादी नियत की गई। वादी की तरफ से कोई शहादत प्रस्तुत नही की गयी। पत्रावली न्याय

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

राजस्व वाद संख्या 48/2010
जेठाराम बनाम सरकार

आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र टांकला मे प्रस्तुत की गयी। मजमे आम मे वादग्रस्त खसरे बाबत तहसीलदार नागौर से रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार नागौर ने अपनी रिपोर्ट मे यह अंकित किया की खसरा नं. 664 रकबा 386 बीघा 04 बिश्वा किस्म गैर मु0 मगरा खनिज संभावित क्षेत्र है। अतः वादी का दावा खारिज फरमावे।

पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपने मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नकल खतौनी एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नकल खतौनी सम्वत् 2063 से 2066 का अवलोकन किया जिसमे वादग्रस्त खसरा नं. 664 रकबा 386 बीघा 04 बिश्वा किस्म भूमि गैर मु0 मगरा खनिज संभावित क्षेत्र दर्ज होने से एवं उक्त खसरा राज्य सरकार द्वारा खनिज लीज हेतु आरक्षित होने से उक्त खसरा पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि वर्तमान खसरा नं. 664 मे से 8 बीघा भूमि पर सम्वत 2000 से वादी एवं वादी के पिता का कब्जा काश्त निरन्तर रहता चला आया हो। उक्त खसरा गैर मु. मगरा राजकीय भूमि खनिज सभांवित होने से वादी को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अतः वाद ग्रस्त खसरा नं. 664 रकबा 386 बीघा 4 बिश्वा गैर मु. मगरा खनिज संभावित क्षेत्र होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। खारिज का डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय दिनांक 25.05.2016 को अटल सेवा केन्द्र नुकाम टांकला मे मजमे आम मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर